<u>न्यायालयः-विशिष्ठ न्यायाधीश अजा/जजा(अ.नि.) प्रकरण बारां, जिला-बारां (राज.)</u>
पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा, आर.जे.एस.(डी.जे. केडर)**
आप. विविध प्रकरण सं.– **103/2026**
सी.आई.एस. नंबरः– **103/2026**

भवानी सिंह उर्फ नन्हा पुत्र मलखान सिंह, उम्र–44 साल, निवासी–प्रेमनगर रामद्वारे के सामने बारां, थाना–कोतवाली बारां, जिला–बारां(राज.)

प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये विशिष्ठ लोक अभियोजक

.....अप्रार्थी/विपक्षी

<u>जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता</u>

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 187/2025, **पुलिस थाना– कोतवाली बारां,** अपराध अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा <u>3(1)(r)(s), 3(2)(Va) अनु. जाति/जनजाति (अ.नि.) अधिनियम 1989</u>

उपस्थितिः–

1. श्री भारत भूषण सक्सेना, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
3. श्री सिमरनजीत सिंह, विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

<u>आदेश</u> **दिनांकः–10.03.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से **धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अन्तर्गत यह **प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र** पुलिस थाना कोतवाली बारां की एफ.आई.आर. नंबर 187/2025 अपराध अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(Va) अनु. जाति/जनजाति (अ.नि.) अधिनियम 1989 के संदर्भ में दिनांक 09.03.2026 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक को दिलाई गई। जमानत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किए जाने के आदेश दिये गये। परिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया, जिसकी पालना में परिवादी मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है। केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट के पेश हुई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.03.2025 को फरियादी हेमन्त ने थाना कोतवाली बारां पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह शिवाजी कॉलोनी बारां का निवासी है। दिनांक 26.03.2025 को रात्रि 08 बजे करीब वह और उसकी बहिन शिवानी अप्रार्थीगण के यहां पर सूट सिलाने गये थे। उस समय अप्रार्थी नन्हा ने शराब पी रखी थी और कहा कि रण्डियों के पास रण्डियां आती हैं। उसके बाद प्रार्थी व उसकी बहिन के साथ छीना झपटी व धक्का–मुक्की करने लग गया तथा प्रार्थी के नन्हे की पत्नी ने सरिया की सिर पर मारी, जिससे उसका सिर फट गया, जिससे खून निकल आया। बाद में गिर्राज व बृजमोहन नामा बीच–बचाव करने गये तो नन्हा, नेमीचन्द व उसकी पत्नी ने भी गिर्राज के साथ गाली–गलौंच की और प्रार्थी, उसकी बहिन व गिर्राज तीनों के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चमारिया, डेढ़या तू समझाने वाला कौन होता है। तुझे जान से मार

दूंगा। मुल्जिमान के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है इस कारण मुल्जिमान के हौंसले बुलंदी पर हैं तथा अभी भी धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें जान से खत्म करके रहेंगे,.....इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 187/2025 अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(Va) Sc/St Act में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(Va) अनु. जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। वर्तमान में प्रकरण साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर लंबित है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का अग्रलिखित आपराधिक रिकॉर्ड होना बताया है:–

क्र.सं	एफ.आई.आर. मय थाना	धारा	सी.एस. नंबर	न्यायालय/ प्रकरण	विवरण
01	45/24 कोतवाली बारां	13 आर.पी.जी.ओ.	31./30.01. 24	161/24 सीजेएम बारां	निर्णय दिनांक 20.03.2024 दोषसिद्ध जुर्माना 100/–

5. बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वास्तव में परिवादी से केवल मामूली कहासुनी और धक्का–मुक्की हुई थी, किंतु परिवादी द्वारा तथ्यों को बढ़ा–चढ़ा कर रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है। परिवादी के गिरने–पड़ने से चोटें आयी हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है और न ही उसे कोई जातिसूचक गाली–गलौंच की गयी है। केवल आहत हेमन्त के ही साधारण प्रकृति की चोटें कारित हुई हैं। अन्य किसी व्यक्ति के कोई चोटें कारित नहीं हुई हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा–3 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण 1989 के अतिरिक्त सभी आरोप जमानतीय अपराध से संबंधित हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.03.2026 से अभिरक्षा में चला आ रहा है। अभी प्रकरण के अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

7. इसके विपरित विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं परिवादी के अधिवक्ता ने संयुक्त रूप से बहस करते हुए तर्क दिये कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार परिवादी हेमन्त का अपनी बहिन के साथ सूट सिलवाने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त के यहां जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ गाली–गलौंच, छीना झपटी व धक्का–मुक्की करना बताया है। रिपोर्ट

में अभियुक्त भवानीसिंह की पत्नी द्वारा परिवादी के सिर में मारना तथा बीच–बचाव करने पर गिर्राज व परिवादी की बहिन के साथ भी मारपीट करना बताया है। केस डायरी पर परिवादी/आहत हेमन्त का चोट प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें उसके कुल 03 चोट साधारण प्रकृति की कुंद हथियार से कारित होना बताया है। आहत के कोई गंभीर चोट कारित होना प्रकट नहीं हो रहा है। अन्य आहत गिर्राज व शिवानी का कोई चोट प्रतिवेदन केस डायरी पर उपलब्ध होना प्रकट नहीं हो रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा है। अभी प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण के अलावा पूर्व में जो एक अन्य प्रकरण दर्ज होना बताया है वो धारा 13 आरपीजीओ से संबंधित होना और उसका निस्तारण हो जाना प्रकट हो रहा है।

9. अतः इस स्टेज पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व्यक्त किए बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

10. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **भवानी सिंह उर्फ नन्हा पुत्र मलखान सिंह, उम्र–44 साल, निवासी–प्रेमनगर रामद्वारे के सामने बारां, थाना–कोतवाली बारां, जिला–बारां(राज.)** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि **प्रार्थी/अभियुक्त** इस न्यायालय की संतुष्टि अनुसार **पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये** की दो मोतबीर जमानतें एवं **पचास हजार रूपये** की राशि का मुचलका निम्न शर्तों के अधीन न्यायालय में उपस्थिति बाबत पेश कर तस्दीक करवा दे कि–

- वह न्यायालय में नियत प्रत्येक पेशियों पर हाजिर रहेगा।
- ना तो स्वयं, ना ही किसी अन्य द्वारा गवाहान को धमकायेगा या बरगलायेगा नहीं।
- आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
- पुलिस को अनुसंधान हेतु आवश्यकता होने पर हाजिर होगा,

तो उसे नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज.)

11. आदेश आज दिनांक 10.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अजा/जजा (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला–बारां (राज.)

SUKHVEER LODHI
Steno Gr-I
"Authenticate Document"
Digitally signed by SUKHVEER LODHI